पत्रावली पेश हुई।

19/7/22 प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता के P/F नोटिस पेश नहीं किये हुए पत्रावली अक्सर दिये जाने के कारण अनुपस्थित। विपक्षीगण प्रार्थना पत्र कोडश 9 नियम 05 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा रजिस्टर से कम हो।

SPO